फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - सर्विलांस सेल

दिनांक :- 26.07.2024

सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा/खोये हुये कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन(अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख 50 हजार रू0) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** के नेतृत्व में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों व विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र जिन्हें सर्विलांस पर लगा कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। सर्विलांस सेल द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किये गये।

आज दिनांक 26.07.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी द्वारा गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन के वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामियों द्वारा सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा आम जनमानस द्वारा इस सराहनीय कार्य हेतु फतेहगढ़ पुलिस की प्रशंसा की जा रही है।

बरामद किये गये मोबाइल फोन का विवरण-

1. 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब 25 लाख 50 हजार रु0)

बरामद करने वाली सर्विलांस सेल टीमः-

1. उ0नि0 विशेष कुमार
2. का0 संदीप राव
2. हे0का0 अनुराग कुमार
4. हे0का0 अजय कुमार
5. हे0का0 करन सिहं

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 26.07.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व अपने सह सदस्यो के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वंयं व अपने परिजनों के नाम अवैध चल-अचल सम्पत्ति कीमत करीब "तीन करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार दो सौ पचास रुपये" को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी बंगला नं0 50ए लोको रोड कालोनी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ सह–अभियुक्त भाई 2.योगेन्द्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पुत्र शिवनन्दन सिंह यादव निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा अवैध रुप से अर्जीत स्वयं एंव स्वयं के परिवारीजनो के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 3,11,83,250/- रुपये (तीन करोड़ ग्यारह लाख, तिरासी हजार दो सौ पचास रुपये) श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश संख्या 26/2024 दिनांकित 19/07/2024 के द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र सिहँ उर्फ जग्गू यादव व उसके परिवारिजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियो को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिए आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा व प्रभारी निरीक्षक कादरीगेट मय हमराह पुलिस फोर्स आज दिनांक 26/07/2024 को उपरोक्त सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

अभियुक्त/गैंगलीडर देवेन्द्र उर्फ जग्गू यादव की कुर्क करायी गयी सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	भू/भवन स्वामी का नाम पता	भू / मकान विक्रेता का नाम पता व उस समय सम्पत्ति की सरकारी कीमत	गाटा सं0 व स्थित भूमि	क्षे0 (वर्ग मीटर)	वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन
1.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री ज्ञानचन्द्र पुत्र ख्यालीराम निवासी नवदिया को0 फतेहगढ	आवासीय प्लाट स्थित मसेनी लेखपत्र संख्या 2576/13 दिनांक 22.03.13	161.82 वर्ग मीटर	43,60,850
2.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्रीमती अनीता शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा नि0 नौंगवा केन्ट फतेहगढ	आवासीय प्लाट स्थित भगुवा नगला लेखपत्र संख्या 3834/16 दिनांक 02.04.16	121.25 वर्ग मीटर	29,10,000
3.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री श्रीकृष्ण पुत्र पुत्तुलाल नि0 मसैनी को0 फतेहगढ़	आवासीय प्लाट स्थित मसेनी लेखपत्र संख्या 1761/13 दिनांक 25.02.13	198.64 वर्ग मी0	34,00,000

4.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	श्री कुवर सिंह उर्फ कुमर सिंह पुत्र श्यामलाल नि0 टीकावारी मसेनी फतेहगढ	आवासीय प्लाट स्थित मसेनी लेखपत्र संख्या 6666/22 दिनांक 09.05.22	172.05 वर्ग मीटर	48,17,400
5.	श्रीमती प्रीती यादव पत्नी देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव निवासी बंगला नं0 50 ए लोको रोड कालोनी कोत0 फतेहगढ़	बूना बेगम उर्फ नाथूराना बेगम व मेराज खान पुत्री याकूब खान नि0 अमेठी जदीद फर्रू0	आवासीय प्लाट स्थित अमेठी कोहना लेखपत्र संख्या 1168/19 दिनांक 24.01.19	0.146 हेक्टेयर	1,56,95,000
कुल योग			3,11,83,250/- रुपये (तीन करोड़ ग्यारह लाख, तिरासी हजार दो सौ पचास रुपये)		

ज्ञांतव्य हो कि उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त गैंगलीडर देवेन्द्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियाँ जिसकी कुल कीमत 19,56,86,666.61 रुपयों (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छियासी हजार छः सौ छियासठ रुपये इकसठ पैसे) में से 16,36,09,497.61 (सोलह करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार चार सौ सत्तानवें रुपये इकसठ पैसे) को दिनांक 24.07.2024 को नियमानुसार कुर्क कराया जा चुका है। उसी क्रम में कुर्की हेतु शेष सम्पत्ति उपरोक्त सूचीनुसार क्र0सं0 1 से 5 तक जिसकी वर्तमान कीमत 3,11,83,250/- (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार दो सौ पचास रुपये) है, को आज दिनांक 26.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा मय हमराह पुलिस बल के साथ कुर्की की कार्यवाही की गयी व सूची में अंकित भूखण्डो पर नोटिस बोर्ड लगवाये गये हैं। उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तो की और सम्पत्तियों का पता 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु लगाया जा रहा है, शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। गैंग लीडर अभियुक्त देवेन्द्र सिह उर्फ जग्गू यादव की अवैध सम्पत्ति की जब्तीकरण के अभियान के अन्तर्गत अब तक कुल **19,47,92,747.61/-रु0 (उन्नीस करोड़ सैंतालिस लाख बान्नवें हजार सात सौ सैतालिस रुपये इकसठ पैसे)** की कीमत की चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित गंगवार थाना मऊदरवाजा मय हमराह पुलिस बल
2. प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीगेट श्री अवध नरायण पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0- 26.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त लाखन पुत्र कप्तान सिह निवासी गंगानगर रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-370/2000 वाद स0- 36/2001 धारा-25/27 A ACT थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/ एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी -श्री पंकत कुमार कटियार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुनील कुमार

पैरोकार का0 गुलाम घोस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0- 26.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त लाखन पुत्र कप्तान सिह निवासी गंगानगर रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-323/2000 वाद स0- 42/2001 धारा- 147,148,307/149,302/149 IPC थाना थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 26.07.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/ एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर आजीवन कारावास व 75 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी -श्री पंकत कुमार कटियार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुनील कुमार

पैरोकार का0 गुलाम गौस